TWENTY RUPEES   बीस रुपये TWENTY RUPEES

146

समक्ष : माननीय न्यायालय श्रीमान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जबलपुर ﴾म0प्र0﴿

म/अपील/जबलपुर/भू.रा/2017/4311

राजस्व अपील क्रमांक : /2017

अपीलार्थी : डुमारीलाल लोधी उम्र करीब वर्ष
आवेदक पिता - श्री बारेलाल लोधी ,
निवासी - ग्राम उमरिया तहसील व
जिला जबलपुर ﴾म0प्र0﴿

437

रणबीर सिंह
रीडर
12 OCT 2017

विरूद्ध

गैरअपीलार्थीगण : ﴾1﴿ श्रीमति चंदाबाई लोधी उम्र करीब 42 वर्ष
अनावेदकगण पत्नि - श्री पन्नालाल लोधी ,
निवासी - खड़देवरी तहसील जिला सैला

﴾2﴿ बलीराम लोधी ﴾ पटेल﴿ उम्र करीब 70 वर्ष
पिता - गयादीन लोधी

﴾3﴿ निरंजन ﴾लोधी﴿पटेल उम्र 65 वर्ष
पिता- गयादीन लोधी ,
दोनो निवासी ग्राम महगवाँ तहसील व
जिला जबलपुर ﴾म0प्र0﴿

राजस्व अपील अंतर्गत धारा - 44 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

"अपीलार्थी व्दारा व्दारा यह अपील माननीय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर रा0अपील क्रमांक 1319/अ-6/12-13 पक्षकार डुमारीलाल -विरूद्ध- चंदाबाई व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 05/09/2017 से परिवेदित होकर यह अपील निम्न तथ्यो व आधारो पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :-

डुमारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक एक–अपील / जबलपुर / भू.रा. / 2017 / 4311

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
21.08.18	अपील की ग्राह्यता पर अपीलांट्स के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 1339 अ–6 / 2012–13 अपील में पारित आदेश दिनॉक 5–9–2017 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत यह तीसरी अपील प्रस्तुत की गई है। 2/ अपीलांट्स के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार किया गया। प्रकरण में आये तथ्यों के अवलोकन से परलक्षित है कि वाद विचारित भूमि पर तंहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 25–5–09 से नामांत्रण किया है , जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के न्यायालय में प्रथम अपील होने पर प्रकरण कमांक 138 / अ–6 / 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 5–7–13 से तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के आदेश दिनांक 5–7–13 के विरूद्व द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग ने जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 1339 अ–6 / 2012–13 अपील में पारित आदेश दिनॉक 5–9–2017 से अपील निरस्त की है। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर व्दारा द्वित्तीय अपील में पारित आदेश के विरूद्व यह तीसरी अपील राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में प्रस्तुत की गई है। 3/ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि संहिता की धारा 44 में तीसरी अपील का	

प्रावधान नहीं है। अपीलांट के अभिभाषक ने अपील को निगरानी में बदलकर सुने जाने की मांग भी नहीं की है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में तीसरी अपील का प्रावधान न होने से अपील अमान्य की जाती है।

सदस्य